न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

निगरानी कमांक......502/नी....../2016

विमलाबाई पत्नि राधेश्याम त्यागी
जाति त्यागी आयु लगभग 45 वर्ष
निवासी व कृषक ग्राम बिजलोन
तहसील व जिला सीहोर।...निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1 अब्दुल रफीक आ0 श्री अब्दुल वहीद वयस्क।
2. अब्दुल अजीज आ0 अब्दुल वहीद वयस्क।
3. अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल वहीद वयस्क।
तीनो निवासी हाउसं नंबर 606 तलैया
कस्बा सीहोर।
4. लाल मियां आ0 अब्दुल हाफिज वयस्क।
निवासी तलैया मोहल्ला कस्बा सीहोर।
5. लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र पीर बगस
निवासी मोबाईल टावर के पास ग्राम बिजलोन
तहसील व जिला सीहोर।
6. अब्दुल अजीज़ आ0 हमीद वयस्क।
7. अब्दुल रसीद उर्फ गुड्डू भाई आ0 हमीद।
दोनो निवासी करोंद भोपाल।...रेस्पॉण्डेन्ट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16.11.2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सीहोर प्रकरण कमांक 49/अपील/2014-15 अब्दुल रफीक आदि विरूद्ध लाल मोहम्मद आदि।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीहोर के आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करती है :-

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 502-II/16 जिला श्योपुर

विमलाबाई वि. अब्दुल रफ़ीक वगैरह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.2.16	मैंने प्रकरण में आवेदक के विद्वान अभिभाषक के ग्राह्यता एवं स्थगन पर तर्क सुने एवं उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया । इसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि SDO का आक्षेपित आदेश दि. 16.11.15 एक विस्तृत एवं बोलते स्वरूप का आदेश है जहाँ उन्होंने ने उभयपक्ष के तर्कों का विवरण लिखकर विवेचना उपरान्त विलम्ब माफ करने का निर्णय लिया है । वैसे भी इस आदेश से किसी भी पक्ष के वैधानिक अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने या प्रभावित होने संभावित हो गए होने, नहीं माना जा सकता । अभी पक्षकारों को SDO के समक्ष पक्षसमर्थन का अवसर उपलब्ध है । अत: मैं इस आवेदन को इसी प्रक्रम पर अग्राह्य कर प्रकरण समाप्त करता हूँ । पक्षकार सूचित हों । वा. द. हो । (सदस्य)	

[कृ. प. उ.